न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–146/2022

राजू कौर पुत्री छिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1– अमृतपाल सिंह पुत्र पवनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2– गुरदास सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––प्रत्यर्थीगण/वादीगण

3– सोहन सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4– मन्द्र सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5– मोहन सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6– पवनजीत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7– अमरजीत कौर पुत्री कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

8– छिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 3 से 6

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर, टिब्बी, राजस्व वाद संख्या 241/2016 शीर्षक "अमृतपाल सिंह आदि बनाम कलवन्त सिंह आदि"

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

:: निर्णय :: दिनांक : 13.7.23

1. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 को धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को व्यथित होना व्यक्त कर प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किये है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है तथा इस भूमि में उसका जन्म से हक व हिस्सा है लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया तथा अपीलाण्ट के पिता रेस्पोडेंट संख्या 8 छिन्द्र सिंह की शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता का लाभ उठाकर जरिये राजीनामा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है तथा अच्छी व बहुमूल्य कृषि भूमि अपने व अन्य प्रत्यर्थीगण के नाम लगवाकर अपीलाण्ट के पिता के नाम निम्न श्रेणी की कृषि भूमि दर्ज करवाई है जिससे अपीलाण्ट के हित विपरीत रूप से प्रभावित हुये है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दादा स्व0 श्री कलवन्त सिंह का देहान्त होने पर कृषि भूमि के विभाजन संबंधी वार्ता करने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर यह अपील दिनांक 06.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील मियाद बिन्दू व धारा 96 सीपीसी के बिन्दू पर आपत्तियों को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट व अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील में यह तथ्य प्रकट किये है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 1 एनडीआर के खाता संख्या 90/30 की कुल 4.364 हैक्टेयर में श्री कलवन्त सिंह के 1.649, 1/2 हिस्सा, चक 650 आर.डी. के खाता संख्या 79/80 तादादी 9.993 हैक्टेयर में श्री कलवन्त सिंह के 176/790 में 1/2 हिस्सा व चक 8 एस.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 59 मे 1.252 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा तथा चक 6 एस.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 16 की कुल 2.303 हैक्टेयर में स्व0 कलवन्त सिंह के 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 193 में कुल 4.807 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा में 1/2 हिस्सा व चक 3 जीजीआर के खाता संख्या 58/29 में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टेयर भूमि को पैतृक सम्पति बताते हुये घोषणा का अनुतोष याचित किया था तथा यह वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 25.05.2016 को कैम्प कोर्ट मसीतांवाली में जरिये राजीनामा डिक्री करवा लिया। अपीलाण्ट ने यह कथन किया है कि वह रेस्पोडेंट संख्या 8 छिन्द्र सिंह की पुत्री है तथा छिन्द्र सिंह के केवल पुत्रियां ही है तथा वह शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहता है, उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने स्वयं के नाम अच्छी व बहूमूल्य कृषि भूमि अपने नाम करवा ली तथा अपीलाण्ट के पिता छिन्द्र सिंह की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर उसे निम्न श्रेणी की भूमि बंटवारा में दे दी जिसके कारण अपीलाण्ट विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील में यह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कथन किये है कि वादपत्र दिनांक 24.05.2016 को प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 25.05.2016 तलबी हेतु नियत था तथा बिना सम्मन जारी हुये दिनांक 25.05.2016 को राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के संबंध में कोई जांच नहीं की। राजीनामा में वर्णित जैसा कोई बंटवारा प्रत्यर्थीगण के मध्य नहीं हुआ। इसी भूमि के संबंध में पूर्व में भी एक वाद संख्या 478/2015 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसमें भी घरू बंटवारा के आधार पर घोषणा चाही गई थी जबकि आक्षेपित निर्णय व डिक्री में अभिकथित घरू बंटवारा में भूमि का विवरण अलग है। पक्षकारों के मध्य पूर्व में इसी भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन होने के कारण यह पश्चातवर्ती वाद स्थगित होने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के संबंध में कोई जांच नहीं की तथा कथित घरू बंटवारा के आधार पर घोषणा का अनुतोष याचित किये जाने में भूधारक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। उक्त कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी व शेष रेस्पोडेंट बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस राजीनामा के आधार पर पारित हुई है, उस राजीनामा की वैद्यता के संबंध में अधीनस्थ न्यायलय द्वारा कोई जांच नहीं किये जाने का आक्षेप लगाया है तथा यह भी कथन किया है कि पूर्ववर्ती वादपत्र के विचाराधीन रहते यह वादपत्र भिन्न घरू बंटवारा का कथन कर राजीनामा के जरिये डिक्री करवाया गया है जिसमें अपीलाण्ट के पिता छिन्द्र सिंह को निम्न श्रेणी की भूमि दी गई है तथा पैतृक सम्पति होने के कारण पिता को उक्त डिक्री के आधार पर प्राप्त होने वाली भूमि में उसका हित नीहित होने से वह प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट ने पैतृक सम्पति होना प्रकट किया है तथा इस कृषि भूमि में छिन्द्र सिंह को प्राप्त होने वाले संभावित हिस्सा में अपीलाण्ट का भी हित नीहित होने से वह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित है। इस कारण अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित होने के कारण बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि अपीलाण्ट ने यह अपील तृतीय पक्षकार की हैसियत से प्रस्तुत की है तथा वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी उसने अपने दादा श्री कलवन्त सिंह के देहान्त होने के उपरान्त बंटवारा संबंधी वार्ता करने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान होने का सशपथ कथन किया है। रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अकाटय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट की यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

5. रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस का उत्तर देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि प्रश्नगत डिक्री के अन्तर्गत रेस्पोडेंट संख्या 8 छिन्द्र सिंह को निम्न श्रेणी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की भूमि मिलती तो वह इस निर्णय व डिक्री को चुनौती दे सकता था लेकिन उसके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। जहां तक कि इस अपील में भी वह उपस्थित नहीं आया है। अपीलाण्ट पैतृक सम्पति के विधि अनुसार विभाजन की डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करवाने में विलम्ब पैदा करने के आशय से यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलाण्ट के कथनानुसार यदि यह राजीनामा वह उचित नहीं पाती है तो विधिवत् विभाजन के लिये या स्व0 श्री कलवन्त सिंह के देहान्त उपरान्त उनके द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार यह प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाता है तो रेस्पोडेंट को आपत्ति नहीं है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपीलाण्ट ने इस अपील में यह आधार लिया है कि उसके पिता रेस्पोडेंट संख्या 8 को विभाजन में निम्न श्रेणी की भूमि दी गई है, जबकि इस तथ्य का विरोध करने स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 8 उपस्थित नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद कलवंत सिंह व महेन्द्र सिंह की मृत्यु होने के कारण स्व0 श्री कलवन्त सिंह द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार पुनः निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने में सहमति दी है। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत भूमि के संबंध में हक, हित व विभाजन के संबंध में प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है व उक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि कलवन्त सिंह पुत्र ज्वाला सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्र कलवन्त सिंह के देहान्त होने के कारण उनके द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुणों पर 6 माह के अन्दर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.7.23 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

13/7/23

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़